बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 –107/13 –58(ग्रा0) दिनांक– 10/7/2018

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी
प्रशासन एवं एकाउंट विंग
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय :– **वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बक्सर जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोला में 125 मीटर गहरे आई0 एम0–।। पम्प के साथ नलकूप के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद से रु0 1.42 लाख (एक लाख ब्यालीस हजार रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में राज्य के 12 जिलों के आर्सेनिक प्रभावित टोलों में 716 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0 –।। पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 – 107/13– 523, दिनांक– 28.02.14 के द्वारा कुल रू0 647.264 लाख (छः करोड़ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार चापाकलों के निर्माण की योजना का लागत राशि का 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रुप में भारत सरकार द्वारा एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत **लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर** को आर्सेनिक प्रभावित टोला में नलकूप के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद से रु0 1.42 लाख (एक लाख ब्यालीस हजार रुपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड से बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत्यादेश के अंतर्गत अबतक बक्सर को 58.0 लाख रु0 विमुक्त है। बक्सर को सामान्य मद से 1.0224 लाख रु0 अनुसूचित जाति मद से 0.3692 लाख रु0 अनुसूचित जनजाति मद से 0.0284 लाख रु0 विमुक्त किया जाता है।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन
10.7.18
(सतीश चंद्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0–107/13–58 (मा0) पटना, दिनांक– 10/7/2018

1. प्रतिलिपि –कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड** के **बैंक खाते** के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2.प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.प्रतिलिपि–माननीय मंत्री,के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4.प्रतिलिपि–सचिव, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता मो0)–1/कार्यपालक अभियंता मो0)–2/सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी, डाटा सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी–6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ कार्यवाह सहायक प्रशाखा – 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव